



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उ०प्र० पावर कारपोरे शन लि०

तृतीय तल, शाकित भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656 cehydelpcl@gmail.com फैक्स : 0522-2288655

संख्या : 1960 /अनु०-२/सी०ई०एच०/प्रोन्ति/2019

दिनांक : 10.10.2019

कार्यालय ज्ञापन

उ०प्र० स्टेट इलेक्ट्रोसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल) रेग्युलेशन 1972 यथा संशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० व उसके सहयोगी वितरण निगमों/केस्को तथा उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि० के अधीन अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) (विद्युत एवं यांत्रिक) के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिकों के चयनोंपरान्त विद्युत सेवा आयोग के पत्र संख्या-469/विसेआ/टी०जी०-२-जे०ई०, दिनांक 03.03.2019 द्वारा प्रेषित सूची में निम्नलिखित कार्मिकों को प्रतिबन्धाधीन चयनित किया गया था। विद्युत सेवा आयोग के पत्रांक 1602/विसेआ/टी०जी०-२-जे०ई०, दिनांक 29.07.2019 के सन्दर्भ में प्रतिबन्धाधीन चयनित तकनीशियन कार्मिकों जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही (DP) के प्रकरण लम्बित थे, के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर ऐसे निम्नलिखित कार्मिकों, जिनके अनुशासनिक कार्यवाही (DP) सम्बन्धी प्रकरण सम्बन्धित डिस्काम द्वारा परीक्षणोपरान्त समाप्त कर दिये गये हैं, को सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में एतद्वारा उ०प्र० पा०का०लि० व उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि० के अधीन कार्यभार ग्रहण की तिथि से उ०प्र० पा०का०लि० के ज्ञाप संख्या-1090-काविनी एवं वे०प्र०-२९/पा०का०लि०/2016-४-काविनी/12(टीसी), दिनांक 21.12.2016 में निहित प्राविधानानुसार छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन बैण्ड- ॥ (9300-34800) में घेड वेतन रु० 4600.00 के सापेक्ष प्रारम्भिक प्रविष्टि वेतन/न्यूनतम वेतन रु० 12540.00 (सातवे वेतनमान में यथा अनुमन्य संशोधित) पर स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) (वि० एवं य०) के पद पर चयन द्वारा प्रोन्ति किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित निगमों/झकाईयों में अग्रेतर तैनाती हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित किया जाता है कि इन अवर अभियन्ताओं को उनके वर्तमान तैनाती स्थल एवं गृह जनपद में तैनात न किया जाये।

(क) 40 प्रतिशत प्रोन्ति कोटे के अन्तर्गत चयन द्वारा प्रोन्ति कार्मिकों का विवरण

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री....	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्ति के उपरान्त आवंटित इकाई का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CEHC-0142	WAHID AHMAD	Late Rashid Ahamad	21.01.1963	Hamirpur	E.T.D Mahoba	DVVNL, Agra
2	CEHC-0795	RAMESH CHANDRA VARMA	Late Janpat Varma	05.02.1972	Hamirpur	E.T.D Mahoba	DVVNL, Agra
3	CEHC-1023	GIRDHARI LAL	late Lekhram	10.04.1977	Saharanpur	ETD-I, Saharanpur	PVVNL, Meerut
4	CEHC-2296	RAMESH KUMAR	BRIJ LAL	16.06.1975	BADHOI	EDD-1 Muzaffarnagar	PVVNL, Meerut
5	CEHC-2342	RAJESH KUMAR	Sitaram	12.10.1974	Meerut	EUDD-III MEERUT	PVVNL, Meerut
6	CEHC-2400	AJEET SINGH	SRI ANOOP SINGH	15.09.1975	Muzaffarnagar	EDD-I Muzaffarnagar	PVVNL, Meerut

1128

7	CEHC-2733	SHOKENDRA PAL	Lt. Khimman Singh	10.01.1971	Meerut	EUDD-III MEERUT	PVVNL, Meerut
---	-----------	---------------	-------------------	------------	--------	--------------------	------------------

उपर्युक्त कार्मिकों की चयन द्वारा प्रोन्नति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. उक्त कार्मिकों को अवर अभियन्ता (सा०श्र०) के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नति के पश्चात नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी निम्नांकित को सुनिश्चित करेंगे तथा इन तथ्यों का अलग-अलग प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) जारी करेंगे जिससे सम्बन्धित कार्मिक कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी को अपनी योगदान आख्या के साथ प्रस्तुत कर सके :-
 - (क) कार्मिक की कार्यमुक्ति के तिथि तक कारपोरेशन/निगम में की गयी सेवाओं में निरन्तरता थी, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 - (ख) कार्मिक के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष नहीं है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 - (ग) कार्मिक के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक/न्यायिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 - (घ) उपर्युक्त सूची में अंकित कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
2. इन कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
3. कार्मिक की चयन द्वारा यह प्रोन्नति पूर्णरूप से अस्थायी है, जो किसी भी समय बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
4. सम्बन्धित डिस्काम/ट्रांस्को के प्रबन्ध निदेशक, उपरोक्त आवंटित कार्मिकों की तैनाती अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। चयनित समस्त कार्मिक, आदेश निर्गत होने के एक माह में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बतः एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने के बाले कार्मिक के विषय में यह मान्त्रे हुये कि वह प्रोन्नति पद स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है, तदानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
5. चयनित कार्मिकों के नाम, पिता का नाम, गृह जनपद, जन्म तिथि एवं वर्तमान तैनाती इकाई इत्यादि में यदि टंकण की त्रुटि के कारण कोई भिन्नता परिलक्षित होती है, तो उन विवरणों को सम्बन्धित कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार संशोधन योग्य होगी।
 1. नव-तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण/योगदान आख्या लेने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता अधोलिखित सूचना/प्रमाण-पत्र प्रत्येक अर्थर्थों से दों प्रतियों में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिसकी एक प्रति अपने कार्यालय में तथा एक प्रति मुख्य अभियन्ता (हा०), उ०प्रा० पाकालि, लखनऊ को रिकार्ड के लिए प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
 - (क) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर कार्मिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, गृह जनपद, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता इत्यादि की पुष्टि/सत्यापन कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों एवं इनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों से करेंगे तथा भिन्नता की स्थिति में कार्मिक से शपथ पत्र आदि लेकर अग्रेतर कार्यवाही करेंगे तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।
 - (ख) प्रोन्नति कार्मिक अपनी योगदान आख्या के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/घोषणापत्र नव तैनाती स्थल/कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
 1. डिस्काम/ट्रांस्को की सेवाओं में कार्यरत होने सम्बन्धी घोषणा।
 2. समस्त चल/अचल सम्पत्ति की घोषणा।
 3. विभागीय/अन्य श्रोतों से लिए गये ऋण की घोषणा।

11/1/

D.S.

(3)

4. डिस्काम/ट्रांस्को के प्रति निष्ठावान होने की घोषणा।
5. इन कार्मिकों के वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के द्वारा जारी बिन्दु संख्या 2 पर अंकित विभिन्न मदों का प्रमाण पत्र।
7. कार्मिक को अपनी योगदान आख्या पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति ट्रांस्को/डिस्काम के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (हा०) के कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
8. प्रकरण में शेष रिक्त पदों के विरुद्ध अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे, जिन पर विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9. उक्त चयनित अम्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव नियमानुसार नहीं पायी जाती है, तो उनकी प्रोन्नति निरस्त कर दी जायेगी।
10. यह आदेश मा० उच्च न्यायालय में योजित किसी भी याचिका में पारित आदेश के प्रतिबन्धाधीन है।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या : १९६० / अ-२ / तददिनांक : १०.१०.२०१९

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का०प्र०) उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष एवं निदेशक, पिंडुरा प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वि०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को कारपोरेशन लि० की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
10. समस्त कारपोरेट कार्यालय.....
11. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल/कट फाइल।

१०.१०.१९
(हेमन्त कुमार गुप्ता)
वैयक्तिक सहायक (षष्ठम्)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)